न्यायालय जिला कलक्टर,राजसमंद

(अरविन्द कुमार पोसवाल, आई0ए0एस0,जिला कलक्टर द्वारा अध्यासित)

नामान्तरण अपील: 16/2020

दायर दिनांक: 02.11.2020

निर्णय दिनांक 01.04.2021

—:अनवान:—

1. श्री देवा उर्फ देवीलाल पिता अदाजी जाति मेघवाल (बलाई) आयु 58 वर्ष निवासी घोडच तहसील देलवाडा जिला राजसमन्द
2. श्री कन्ना पिता अदाजी जाति मेघवाल (बलाई) आयु 54 वर्ष निवासी घोडच तहसील देलवाडा जिला राजसमन्द
3. श्री बाबु पिता टीलाजी जाति मेघवाल (बलाई) आयु 55 वर्ष निवासी घोडच तहसील देलवाडा जिला राजसमन्द
4. मोतीबाई पुत्री जगन्नाथजी जाति मेघवाल (बलाई) आयु 80 वर्ष निवासी ग्राम छापरा, घोडच तहसील देलवाडा जिला राजसमन्द

——— **अपीलार्थीगण**

—:बनाम:—

1. श्री मांगिया पिता जालुजी जाति मेघवाल निवासी कुण्डा तहसील देलवाडा जिला राजसमन्द
2. राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार, नाथद्वारा वर्तमान तहसीलदार देलवाडा जिला राजसमन्द

——— **रेस्पोडेण्ट**

अपील विरूद्ध आदेश नामान्तरकरण संख्या 1800 स्वीकृत दिनांक 12.06.2018 न्यायालय तहसीलदार, नाथद्वारा वर्तमान देलवाडा के ग्राम घोडच पटवार मण्डल घोडच तहसील देलवाडा जिला राजसमन्द

उपस्थित:—

1— श्री ख्यालीलाल नागदा, अधिवक्ता अपीलांट्स

2— रेस्पोडेन्ट संख्या 01 अनुपस्थित।

3— श्री कैलाश बोल्या राजकीय अधिवक्ता रेस्पोडेन्ट संख्या 2

न्यायालय जिला कलक्टर राजसमन्द (राज.)

—::निर्णय::—

प्रस्तुत अपील के संक्षिप्त मे तथ्य इस प्रकार है। राजस्व ग्राम घोड़च तहसील देलवाडा जिला राजसमन्द में स्थित आ0नं0 321, 322, 323, 1236, 1970, 2826 व 2827 कुल किता—07 कुल रकबा 01.03 बीघा भूमि जो बालु खातेदार वालिया पिता नाथू जी की दिनांक

10.10.2006 को ग्राम घोड़च मे मृत्यु हो गयी जिसका पंजीयन दिनांक 12.10.2006 को हुआ है। परन्तु उक्त कृषक भूमियों को राजस्व कर्मचारी बिना किसी जांच पड़ताल किये कथित विक्रय पत्र दिनांक 02.06.2015 जिसका पंजीयन दिनांक 14.07.2015 को किया गया था उक्त कथित बनावटी विक्रय पत्र के आधार पर अधीनस्थ न्यायालय न्याय आपके द्वार 2018 में नामान्तरण स्वीकृत किया गया जबकि मूल खातेदार वालिया पिता नाथू जी बलाई की मृत्यु दिनांक 10.10.2006 को हो चुकी थी पटवार हल्का घोड़च ने कथित विक्रय पत्र के आधार पर नामान्तरण स्वीकृत कर दिया गया। जिससे अपीलांट व्यथित होकर उक्त अपील प्रस्तुत की है। अतः अपील अपीलार्थीगण स्वीकार फरमायी जाकर अधीनस्थ न्यायालय तहसीलदार, नाथद्वारा, वर्तमान न्यायालय तहसीलदार, देलवाडा के आदेश दिनांक 12.06.2018 ग्राम घोडच के नामान्तरण संख्या 1800 को निरस्त फरमाया जावें तथा उक्त कृषि भूमियों को मृतक खातेदार वालिया पिता नाथूजी बलाई के विधिक वारिसों के नाम राजस्व रेकार्ड मे दर्ज कराने का आदेश प्रदान करावें।

अपील दर्ज रजिस्टर कर रेस्पोडेण्ट को तलब किया गया। रेस्पोडेण्ट संख्या 02 की ओर से राजकीय अधिवक्ता ने उपस्थिति दी।

उभयपक्ष के अधिवक्ताओं की बहस सुनी गई। अपीलांट द्वारा प्रस्तुत धारा 5 के प्रार्थना पत्र में विलम्ब के लिए अंकित कारण सन्तोषप्रद प्रतीत नही होने से विलम्ब अवधि को न्यायहित में कन्डोन नही किया जाकर धारा 5 के प्रार्थना पत्र को अस्वीकार किया जाता है।

अधिवक्ता अपीलांट तथा राजकीय अधिवक्ता की बहस सुनी गयी। अधिवक्ता अपीलांट ने राजस्व ग्राम घोड़च तहसील देलवाडा जिला राजसमन्द में स्थित आ0नं0 321, 322, 323, 1236, 1970, 2826 व 2827 कुल किता–07 कुल रकबा 01.03 बीघा भूमि जो बालु खातेदार वालिया पिता नाथू जी की दिनांक 10.10.2006 को ग्राम घोड़च मे मृत्यु हो गयी जिसका पंजीयन दिनांक 12.10.2006 को हुआ है। परन्तु उक्त कृषक भूमियों को राजस्व कर्मचारी बिना किसी जांच पड़ताल किये कथित विक्रय पत्र दिनांक 02.06.2015 जिसका पंजीयन दिनांक 14.07.2015 को किया गया था उक्त कथित बनावटी विक्रय पत्र के आधार पर अधीनस्थ न्यायालय न्याय आपके द्वार 2018 में नामान्तरण स्वीकृत किया गया जबकि मूल खातेदार वालिया पिता नाथू जी बलाई की मृत्यु दिनांक 10.10.2006 को हो चुकी थी पटवार हल्का घोड़च ने कथित विक्रय पत्र के आधार पर नामान्तरण स्वीकृत कर दिया गया। जिससे अपीलांट व्यथित होकर उक्त अपील प्रस्तुत की है। अतः अपील अपीलार्थीगण स्वीकार फरमायी जाकर अधीनस्थ न्यायालय तहसीलदार, नाथद्वारा, वर्तमान न्यायालय तहसीलदार, देलवाडा के आदेश दिनांक 12.06.2018 ग्राम घोडच के नामान्तरण संख्या 1800 को निरस्त फरमाया जावें तथा उक्त कृषि भूमियों को मृतक खातेदार वालिया पिता नाथूजी बलाई के विधिक वारिसों के नाम राजस्व रेकार्ड मे दर्ज कराने का आदेश प्रदान करावें।

राजकीय अधिवक्ता ने बहस में कथन किया कि तहसीलदार, नाथद्वारा द्वारा पारित किया गया आक्षेपित नामान्तरण विधिनुकूल होकर अपीलांट द्वारा प्रस्तुत अपील खारिज किये जाने योग्य है।

न्यायालय जिला कलक्टर
राजसमन्द (राज.)

अधिवक्ता अपीलांट व राजकीय अधिवक्ता की बहस पर गहन मनन किया गया । अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित नामान्तरण तहसीलदार, नाथद्वारा द्वारा रजिस्टर्ड प्रमाण पत्रों के आधार पर खोला गया हैं। जिसमें कोई त्रुटी नहीं है और बिना सक्षम न्यायालय से घोषित करवाये रजिस्ट्री को अवैध नही माना जा सकता हैं। ऐसी स्थिति में अपीलार्थी द्वारा प्रस्तुत अपील आधारहीन होने से खारिज की जाती है।

::आदेश::

अतः उपरोक्त विवेचनान्तर्गत अपीलांट द्वारा प्रस्तुत अपील को अस्वीकार किया जाकर खारिज की जाती है। तहसीलदार, नाथद्वारा वर्तमान तहसीलदार, देलवाडा द्वारा स्वीकृत नामान्तरण संख्या 1800 दिनांक 12.06.2018 को यथावत रखा जाता है।

(अरविन्द कुमार पोसवाल)
जिला कलक्टर
राजसमन्द

निर्णय आज दिनांक 01.04.2021 को खुले न्यायालय मे सुनाया गया ।

(अरविन्द कुमार पोसवाल)
जिला कलक्टर
राजसमन्द

न्यायालय जिला कलक्टर राजसमन्द (राज.)